न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

वाद संख्या - 143/2017

1- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज०)

....वादी

बनाम

1- छोटेलाल पुत्र रामचन्द्र
2- कमलेश पुत्र रामचन्द्र
3- पांचू राम पुत्र कानाराम
4- छोटू पुत्र कानाराम
5- मांगीलाल पुत्र प्रभू
6- कानाराम पुत्र जौहरी लाल
7- कैलाश चन्द पुत्र जौहरी लाल
8- पांचू राम पुत्र जौहरी लाल

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति मीना निवासियान किलचपुरी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज०)

......प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 25/01/2018

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि खसरा नं० 122 रकबा 0.2300 हेक्टयर किस्म गै० मु० रास्ता, खसरा नं० 126 रकबा 0.1600 किस्म गै० मु० रास्ता ग्राम किलचपुरी पटवार हल्का नीमला तहसील

P.T.O.

अधिकारी

जमवारामगढ़ में स्थित है वादग्रस्त भूमि मौके पर आम रास्ता है। किन्तु आज के दिनांक में उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं० 1 लगायत 8 के खातेदारी दर्ज है जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि का उपयोग आज के दिनांक में विगत काफी अर्से से रास्ते के रूप में किया जा रहा है।

उक्त वादग्रस्त प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज होने से रास्ते के जाने आने में बाधा उत्पन्न करते है जिसका की प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है।

वादग्रस्त भूमि का उपयोग अर्से दराज से आमजन के द्वारा रास्ते के रूप में किया जा रहा है जिस पर उक्त प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 लठ के जोर पर रास्ते को आये दिन अवरूद्ध कर देते है, जिससे आम जन को काफी कठिनाईयां का सामना करना पड़ता है और वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार की काश्त नहीं है। तथा उक्त भूमि ना काबिल काश्त है तथा वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार कि कोई सड़क निर्माण कार्य में प्रतिवादी सं० 1 लगायत 8 बाधा उत्पन्न करते है।

उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 लगायत 8 के खातेदारी से हटाकर सार्वजनिक हित में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजकीय खाते में दर्ज कराने का वादी अधिकारी है। न्याय आपके द्वार कैम्प के द्वारा अभियान 2017 में नीमला कैम्प में आम जनता द्वारा रास्ते के बारे में कई आवेदन पेश किये गये। जिस पर वाद कारण उत्पन्न होकर आदिनांक तक निरन्तर है जिसके वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम किलनचपुरा पटवार हल्का नीमला तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में स्थित ख०न० 122 रकबा 0.2300 हैक्टर किस्म गै०मु० रास्ता, ख०न० 126 रकबा 0.1600 हैक्टर, किस्म गै०मु० रास्ता को खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 लगायत 8 से निरस्त कर राजकीय खाते में दर्ज की जावे।

उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर कर तामील प्रतिवादीगण को जारी की गई। दिनांक 18/1/2017 को प्रतिवादीगण को नोटिस तामील हो चुके हैं प्रतिवादीगण की तरफ से एक मात्र पांचूराम उपस्थित रहा। प्रतिवादी को जवाब पेश करने हेतु एक और अवसर दिया गया।

दिनांक 26/1/2017 को प्रतिवादी सं० 1 की ओर से अण्डरटेकिंग व 2 ता 5 की ओर की ओर से एडवो श्री महेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी ए 6 व 7 की तामील उसके ताउ को देकर करवाई गई। 8 को नोटिस तामील। पत्रावली बाबत जवाब हेतु विचाराधीन रखी गई। दिनांक 8/11/18 को जवाब पेश करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया।

दिनांक 10/11/18 को अप्रार्थी सं० 6 व 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। उनको बार-बार आवाजें लगवाई गई लेकिन उपस्थित नहीं। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की ओर जवाब पेश किया।

प्रतिवादी सं० 2 ता 5 ने अपने जवाब में अंकित किया कि वाद के मद सं० 1 लगायत 9 को अस्वीकार किया। और अंकित किया कि वर्णित खसरा नं० 122 एवं 126 के अलावा खसरा 94, 100, 101, 106, 108, 109, 115 अनुसार गैर मु० रास्ता कायम होकर खसरा नं० 122 के साथ जुड़ा हो जो कि खसरा नं० 94, 100, 101, 106 108, 109, 115, 122, 126 अनुसार गैरमु० रास्ता मौके पर चालू अनुसार स्थित होकर आमजन के उपयोग में काम आ रहा है। जिसके बाद भी राज्य सरकार ने खसरा 94, 100, 101, 106, 108, 109, 115 अनुसार गैर मु० रास्ता को वाद में शामिल नहीं किया है। जिसके मात्र प्रतिवादी की भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण प्रस्तुत करना न्यायोचित नहीं है। एवं वाद खारिज योग्य है।

P.T.O →

वाद के मद सं० 2 में वर्णित तथ्यों के अनुसार खातेदारी मिन प्रतिवादीगण के नाम विधिपूर्वक अंकित है। चूंकि खसरा नं० 122 व 126 की भूमि को रास्ते में परिवर्तित करने व राज्य सरकार में निहित करने बावत कोई मुआवजा राशि या बदले की भूमि प्रतिवादीगण को नहीं दिया है, तहसीलदार भी मात्र एक राजनैतिक घराने को लाभार्थ करने हेतु मात्र खसरा नं० 122, 126 में आर०सी०सी० सड़क निर्माण कराना चाहते हैं जबकि प्रतिवादीगण एवं आमजन खसरा नं० 94, 100, 101, 106, 108, 109, 115, 122, 126 अनुसार सम्पूर्ण गैरमु० रास्ते में सड़क बनवाना चाहते हैं काश्तकारों के खातेदारी में अंकित होने से सड़क नहीं बनाया जा सकता जिसके लिये मात्र खसरा नं० 122, 126 में कार्यवाही करना अनुचित व न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध दुर्भावपूर्ण कार्य है तथा वाद किया जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराया और प्रतिवादी वकील ने जवाब में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में बयान किया।

बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर, वादग्रस्त भूमि खसरा नं० 122 व 126 जो कि गैरमु० रास्ता भूमि है गैरमु० रास्ते की भूमि राज्य सरकार की होती है जबकि उक्त भूमि खसरा नं० 122, 126 प्रतिवादी सं० 1 ता 8 के नाम दर्ज रिकार्ड है वादग्रस्त भूमि को सड़क निर्माण करवाने के लिये आमजनों के हितों को ध्यान में रखते हुऐ वाद को स्वीकार करना न्यायोचित समझता हूं

अतः वादी के वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम बिलचपुरी पटवार हल्का नीमला तहसील जमवारामगढ (जयपुर) के खसरा नं० 122 रकबा 0.2300 हैक्ट० किस्म गैरमु० रास्ता, खसरा नं० 126 रकबा 0.1600 हैक्ट० किस्म गैर मु० रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी

P.T.O.

(5)

प्रविष्टि संख्या 1 लगायत 8 को निरस्त कर राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार जमवारामगढ़ तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/1/2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)